न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./2005/366/बाड़मेर

समस्त ग्रामवासी ग्राम भानावास, तहसील सिवाणा जिला बाडमेर
जरिये प्रतिनिधिगण :-
1- भोमाराम पुत्र श्री मगनाराम, जाति पटेल
2- किशनाराम पुत्र श्री सदाराम, जाति माली
निवासीगण भानावास, तहसील सिवाणा जिला बाड़मेर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1- पूनमाराम पुत्र जीवाराम, जाति मेघवाल, निवासी भानावास, तहसील सिवाणा, जिला बाड़मेर।
2- ग्राम पंचायत राणीदेसीपुरा, तहसील सिवाणा, जिला बाड़मेर जरिये सरपंज ग्राम पंचायत, राणीदेसीपुरा।
3- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिवाणा, जिला बाड़मेरे।

.....रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड-पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः
श्री अजीत सिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1
श्री दुनीचन्द डिढारिया, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या-2
श्रीमती पूनम माथुर, अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक

दिनांक : 12-12-2019

निर्णय

1- यह अपील अन्तर्गत धारा-224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, बाड़मेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24-4-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष राजस्व वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु रेस्पो. संख्या–2 से 3 के विरूद्ध प्रस्तुत किया कि ग्राम भानावास स्थित खेत खसरा नम्बर साबिक 47 हाल 77 रकबा 18–5–0 एवं खसरा नम्बर साबिक 45 हाल 94 रकबा1–0–0 कुल किता 2 कुल रकबा 19–5–0 पर वादी संवत 2010 के पहले से ही कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है तत्पश्चात दिनांक 15–10–1955 को कब्जा बदस्तूर कायम है। भू प्रबन्ध से पूर्व उक्त भूमि राजकीय खाते में दर्ज थी लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा किस्म परिवर्तन कर गोचर दर्ज कर दी एवं वादी के विरूद्ध धारा–91 एलआर एक्ट के तहत भी कार्यवाही की जा रही है। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 लगायत 3 को नोटिस प्रदत्त किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करने से उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी अभिभाषक की बहस समाअत कर परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी का वाद दिनांक 31–1–2004 को निरस्त फरमा दिया। जिसके विरूद्ध वादी / अप्रार्थी संख्या–1 ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो उनके निर्णय द्वारा दिनांक 24–4–2004 द्वारा स्वीकार कर ली गई और अप्रार्थी संख्या–1 को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–4–2004 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– अपील के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है और प्रार्थना की गई है कि जानकारी के अभाव में विलम्ब हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाये।

4– बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय न्याय, नियम और विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि खसरा नम्बर–77 व 94 राजस्व रिकार्ड में चारागाह भूमि दर्ज है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–16 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अप्रार्थी संख्या–1 का कब्जा विवादित भूमि पर संवत 2010 से पूर्व से नहीं रहा है और न ही दिनांक 15–10–1955 को था। अप्रार्थी संख्या–1 का कब्जा अविधिक था और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–5(44) के तहत अतिक्रमी की परिभाषा में आता है। खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–13, 15 व 19 के तहत ही प्रदान किये जा सकते हैं, न कि धारा–88 के तहत। विवादित भूमि चारागाह दर्ज है और चरागाह पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं।

6– अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम भी प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी। जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई, तुरन्त अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाये।

7– विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत, न्यायसंगत तथा तर्कसंगत है। अप्रार्थी संख्या–1 व उसके पूर्वज विवादित भूमि पर वर्ष 2010 से पूर्व से काबिज काश्त हैं। अपील मियाद बाहर है। ऐसी स्थिति में वादी स्वाभाविक रूप से विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार बन गया है। खसरा परिवर्तनशील की प्रति से उसका कब्जा भली–भांति

सिद्ध है। बन्दोबस्त विभाग ने गलती से उक्त भूमि चारागाह दर्ज कर दी जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। अतः अपील सारहीन होने के कारण निरस्त की जाये। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में एआईआर 1987 (एस.सी.) पेज–1353 प्रस्तुत की।

8– विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या–1 का संवत 2012 सें कब्जा नहीं है। संवत 2012 की जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की गयी है केवल खसरा परिवर्तनशील प्रस्तुत किया है। विवादित भूमि गैर मुमकिन चारागाह दर्ज है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–16 के अन्तर्गत चारागाह पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। अप्रार्थी संख्या–1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–5(44) के तहत एक अतिक्रमी है और विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अतः विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

9– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत नजीरों का आदरपूर्वक परिशीलन किया गया।

10– सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अपील दिनांक 20–1–2005 को प्रस्तुत की गई है जो लगभग 6 माह बाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सद्भाविक होने एवं संतोषजनक कारण होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील मियाद शुमार की जाती है।

11– पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है :–

(1) प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2052–55
आराजी खसरा नम्बर–16, 56, 76, 77 व 94 किता रकबा 126 बीघा पर ग्रामवासियों द्वारा चराई ग्राम पं. रानी देशीपुरा के अधीन गोचर भूमि, किस्म गैर मुमकिन चरागाह दर्ज है।

(2) प्रदर्श–2 खसरा परिवर्तनशील संवत 2010
खसरा नम्बर–45 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा पर जीवा पुत्र रूपा भांबी, दर्ज है किस्म बारानी–3 व गैर मुमकिन दर्ज है।

(3) खसरा परिवर्तनशील संवत 2011
खसरा नम्बर–45 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा पर कृषक के कॉलम में जीवा पुत्र रूपा मेघवाल दर्ज है जिसमें काश्त 3 बीघा तिल, 2 बीघा जवार व 11 बीघा 10 बिस्वा पड़त दर्शायी है किस्म बारानी–3 अंकित है।

(4) प्रदर्श–3 खसरा परिवर्तनशील संवत 2014
खसरा नम्बर–45 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा पर कृषक के कॉलम में जीवला / रूपा भांबी अंकित है। भूमि की किस्म बारानी–3 गैर मुमकिन अंकित है।

(5) खसरा परिवर्तनशील संवत 2015
खसरा नम्बर–45 रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा पर कृषक के कॉलम में जीवा पुत्र रूपा कौम भांबी किस्म बारानी–3 गैर मुमकिन अंकित है।

(6) खसरा परिवर्तनशील संवत 2016
में रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा पर कृषक के कॉलम में जीवा पुत्र भांबी, मानावास अंकित है।

(7) प्रदर्श–4 खसरा परिवर्तनशील संवत–2049
खसरा नम्बर–77 रकबा 9 बीघा गैर मुमकिन गोचर कृषक के कॉलम में कुनिया पुत्र पूनमा कौम कुम्हार अंकित है। टिप्पणी वाले कॉलम में **''मौके पर कब्जा हटाया गया''** अंकित है।

खसरा नम्बर–77 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर–94 रकबा 17 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन गोचर पर कृषक के कॉलम में पूनमा पुत्र जीवा मेघवाल अंकित है।

टिप्पणी वाले कॉलम में **''मौके पर कब्जा हटाया गया''** अंकित है।

(8) खसरा परिवर्तनशील संवत 2050

खसरा नम्बर–77/2 रकबा 9 बीघा कृषक पुनमाराम पुत्र जीवाराम मेघवाल फसल–तिल किस्म गैर मुमकिन गोचर अंकित है।

खसरा नम्बर–94/3 रकबा 17 बिस्वा कृषक पूनमाराम पुत्र जीवाराम – फसल–मकान–बाड़ा, टांका गैर मुमकिन गोचर दर्ज है।

(9) प्रदर्श–5 खसरा, भू प्रबन्ध विभाग संवत–2024

खसरा नम्बर–77 रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा, गत खसरा नम्बर–47 मिन किस्म गैर मुमकिन आगोर नाम कृषक में अलावा जोत नाकाबिल काश्त विशेष विवरण में कुछ भी अंकित नहीं है।

खसरा नम्बर–94 रकबा 25 बीघा 6 बिस्वा, गत खसरा नम्बर–45 मिन किस्म गैर मुमकिन आगोर नाम कृषक में अलावा जोत नाकाबिल काश्त विशेष विवरण में कुछ भी अंकित नहीं है।

(10) प्रदर्श–6 खसरा परिवर्तनशील संवत–2042

खसरा नम्बर–77 रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा पर कनिया पुत्र पूनमा कुम्हार 1/2 एवं पूनमा पुत्र जीवा मेघवाल 1/2, किस्म गैर मुमकिन गोचर अंकित है।

(11) संवत 2043 पर भी उपर्युक्त प्रविष्टि अंकित है

खसरा नम्बर–94 रकबा 17 बिस्वा पर पूनमा पुत्र जीवा मेघवाल किस्म गैर मुमकिन गोचर, मकान बाड़ा अंकित है।

(12) संवत 2045, 2046, 2047 पर भी यही प्रविष्टि है।

(13) प्रदर्श–7 नोटिस अन्तर्गत धारा–91

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 खसरा नम्बर–94 रकबा 22/1, पूनमा पुत्र जीवा भांबी नोटिस तिथि 17–9–1983 अंकित है।

(14) प्रदर्श–8 नोटिस अन्तर्गत धारा–91,

खसरा नम्बर–94, 77 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा, पूनमाराम पुत्र जीवा संवत 2053 व नोटिस की तिथि

16–8–1996 अंकित है।

(15) **प्रदर्श–9 आदेश पुस्तक दिनांक 1–9–1986**
आबंटियों को 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं अतः उन्हें खातेदारी अधिकार देने बाबत कार्यवाही विवरण है। इनमें खसरा नम्बर–78, 79, 80, 81, 83, 84, 82 के आबंटी हैं।

(16) **प्रदर्श–10 ग्राम पंचायत रानीदेशीपुरा** अनापत्ति प्रमाण पत्र है।

(17) **प्रदर्श–11 वाद संख्या–14/94**
में आदेश पंजिका दिनांक 7–8–1996 की प्रमाणित प्रतिलिपि है जिसमें अंकित किया गया है कि दावा पुनः संस्थित करने की हजामत के साथ प्रस्तुत दावा विड्रो करने की अनुमति मांगी है जिसे स्वीकार किया गया।

(18) **प्रदर्श–12** निर्णय, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग सिवाना मु.नं.1415/15 जिसमें पूनमा पुत्र जीवा मेघवाल द्वारा आराजी खसरा नम्बर–77 व 94 के 10 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर 1996 में काश्त करने के कारण एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई जिसमें राजस्व रिकार्ड के अभाव में उसे बरी किया गया।

(13) **प्रदर्श–13** नोटिस अन्तर्गत धारा–80 सीपीसी

(14) **प्रदर्श–14 डाक विभाग** का पत्र, नोटिस बाबत

(15) **प्रदर्श–15** रजिस्टर्ड ए.डी. की रसीद

(16) **प्रदर्श–16 जमाबन्दी संवत 2060–63**
खसरा नम्बर–76 रकबा 10.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–77 रकबा 18.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–94 रकबा 25.06 हैक्टेयर पर ग्राम पंचायत, रानी देशीपुरा के अधीन गोचर भूमि किस्म गैर मुमकिन गोचर दर्ज है। लाल स्याही से निम्न नोट अंकित है।

नामान्तरकरण संख्या–192 दिनांक 25–8–2004 के अनुसार पूनमाराम पुत्र जीवाराम मेघवाल साकिन देह खातेदार के नाम खसरा नम्बर–77 रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर–94/1 रकबा 1 बीघा किता 2 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा, शेष 94 का रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा गैर मुमकिन गोचर बदस्तूर रहा।

11– इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर साबिक 45 पर खसरा परिवर्तनशील के अनुसार जीवा पुत्र रूपा का कब्जा अतिक्रमी के रूप में संवत 2010 से रहा है, साथ ही उक्त भूमि की किस्म बारानी के साथ गैर मुमकिन दर्ज थी। खसरा परिवर्तनशील संवत 2015 तक यही स्थिति बरकरार रही। इसके पश्चात संवत 2024 का खसरा परिवर्तनशील प्रस्तुत किया गया है जिसमें साबिक खसरा नम्बर–47, हाल खसरा नम्बर–77 के 18 बीघा 5 बिस्वा पर सिवायचक किस्म गैर मुमकिन गोचर दर्ज है उसी प्रकार खसरा नम्बर साबिक 45 व हाल खसरा नम्बर–94 पर भी सिवायचक गैर काबिल काश्त किस्म गैर मुमकिन गोचर अंकित है। संवत 2025 से 2041 तक का कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। संवत 2042 में आराजी खसरा नम्बर–77 के आधे हिस्से पर वादी पूनमा पुत्र जीवा का कब्जा अंकित है, लेकिन किस्म गैर मुमकिन गोचर अंकित है एवं संवत 2043 में खसरा नम्बर–94 पर भी किस्म गैर मुमकिन गोचर दर्ज है और यही प्रविष्टि संवत 2045, 2046 प 2047 तक अंकित है। खसरा परिवर्तनशील संवत 2049 के अनुसार खसरा नम्बर–77 के बीघा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर– 94 के 17 बिस्वा पर पूनमा पुत्र जीवा मेघवाल का कब्जा अंकित है जबकि किस्म गैर मुमकिन गोचर है जिस पर कब्जा हटाया गया था, नोट अंकित है। इसी प्रकार खसरा नम्बर–77/2 के बीघा व खसरा नम्बर–94/5 के 17 बिस्वा पर पूनमा पुत्र जीवा का कब्जा अंकित है लेकिन किस्म गैर मुमकिन गोचर अंकित है।

12– राजस्व रिकार्ड के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि जमाबन्दी संवत 2012 एवं इसके बाद की जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है, केवल खसरा परिवर्तनशील की प्रति प्रस्तुत की है, वे भी संवत 2010 से लगातार 2050 तक की नहीं की हैं, बीच बीच के वर्ष की की हैं। खसरा परिवर्तनशील के अनुसार पूर्व के खसरा नम्बर–45 व

47 तथा हाल खसरा नम्बर–77 व 94 पर पूनमा पुत्र जीवा का कब्जा दर्ज है जिसे विधिक प्रक्रिया द्वारा हटाया भी गया है। अतः वादी का कब्जा संवत 2012 अथवा इससे पूर्व का विधिमान्य तरीके से नहीं होकर धारा–5(44) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अतिक्रमी के रूप में रहा है और अतिक्रमी को भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर ने आराजी खसरा नम्बर–77 रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर–94 रकबा 1 बीघा पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। जबकि संवत 2049–2050 में कब्जा खसरा नम्बर–77 पर केवल 9 बीघा तथा खसरा नम्बर–94 पर केवल 17 बिस्वा का ही था। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय राजस्व रिकार्ड के विपरीत तथ्यों से परे, विधिक प्रावधानों के विपरीत, मनमाना व अतार्किक है, जो पोषणीय नहीं है।

14– वादीगण ने उक्त दावा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–88 एवं 188 के तहत प्रस्तुत किया है। धारा–88 के तहत केवल उन्हीं प्रकरणों में खातेदारी प्रदान की जा सकती है जिनमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने की तिथि 15–10–1955 से पूर्व से लगातार वैध कब्जा हो। इस प्रकरण में वादीगण का दिनांक 15–10–1955 से पूर्व वैध कब्जा नहीं है। केवल प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरआरटी–2017(2) पेज–1139 में निम्न अभिमत प्रकट किया है :–

> **There that no provision in the Rajasthan Tenancy Act for conferment of Khatedari rights by adverse possession and therefore, no person can claim right by way of adverse possession againsts the State Government.**

15– इसी प्रकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने की स्थिति के संबंध में 5 सदस्यीय पूर्ण–पीठ का गठन किया गया था जिसने जगदीश बनाम सीताराम प्रकरण में दिनांक 3–6–2011 को जो निर्णय प्रदान किया है वह आरबीजे–2011 पेज–387 पर वर्णित है। इस निर्णय में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के बारे में विस्तृत विवेचन किया है और निम्न अभिमत प्रकट किया है :–

> "77- In View of what has been discussed above and the legal precedents, this Bench answers the questions raised by the referring D.Bl in the following manner :-
>
> (1) Whether the Larger Bench in its judgment 'Bagga Vs. Surendra Singh' as reported in 1991 RRD page I has laid down a good law by providing for comferment / acquisition of khatedari right on a trespasser on the basis of 'adverse possession' vis-a-vis the provision of the Rajasthan Tenancy Act of 1955 as a measure of land reform ?
>
> Answer :- In the view of this bench the Larger Bench in its judgment 'Bagga Vs. Surendra Singh' as reported in 1991 RRD page 1 has not laid down a good law because the Rajasthan Tenancy Act does not have nay provision to confer tenancy rights to the adverse possessor. This bench also infers that providing tenancy rights to the adverse possessor is a retreating step with regard to land reforms and such a conferment of tenancy rights is against the basic spirit of this special legislation.
>
> (2) Whether extinguishment of tenancy right under4 Section 63 (1) (iv) of the Act of 1955 creates khatedari right in trespasser on the basis of adverse possession?
>
> Answer: In the opinion of this bench extinguishment of tenancy rights create no khatedari rights in the trespasser on the basis of adverse possession?
>
> (3) Whether the Board of Revenue has legislative power to lay down a new law for grant of khatedari right in addition to and over and above what is provided under the Act, as has been done by the Larger Bench of this court in 1991 RRD page 1?
>
> Answer: In the opinion of this bench the Board of Revenue does not have legislative power to lay down a new law for grant of khatedari rights.

(4) Whether the judgment of the Larger Bench as reported in RRD page 1 should be revoked/annulled in light of the provision of the Act of 1955 and the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India as reported in RLW 2008 (1) RJ page 1101.

Answer: In the opinion of this bench the judgment of Larger Bench in Bagga Vs Surendra Singh as reported in 1991 RRD page 1 being not a good law, deserves to be set aside."

16– अतः राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल की पूर्ण–पीठ के निर्णयों से यह भलीं–भांति सिद्ध होता है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राद्भूत नहीं होते हैं। अतः इसी आधार पर यह दावा चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर ने उक्त तनकी को प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णीत करने में गम्भीर त्रुटि कारित की है।

16– फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–4–2004 निरस्त की जाती है एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–1–2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य